न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

निगरानी संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
13/02/2022	25–04–2022	24–06–2022

01. राजेश कुमार पुत्र मुरारी लाल जाति बाहम्ण निवासी रामपुर तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)
02. मधु पुत्री मुरारी लाल जाति बाहम्ण पत्नि नरेश चन्द निवासी हाजीपुर तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)
03. मीरा पुत्री मुरारी लाल जाति बाहम्ण पत्नि बंजरग लाल निवासी हाजीपुर तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)

निगरानीकार

बनाम

1. सरीता पत्नि मुकेश कुमार जाति बाहम्ण निवासी रामपुर तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)
2. .ग्राम पंचायत रामपुर जरिर्ये ग्राम पंचायत रामपुर पंचायत समिति बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)
3. सचिव ग्राम पंचायत रामपुर पंचायत समिति बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)

अनिगरानीकार

निगरानी विरूद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत रामपुर पंचायत समिति बानसूर दिनांक 03.12.2004 जिसके द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में आगामी बैठक में पटटा दिये जाने आदेश दिया है, तथा आदेश की पालना में दिनाक 15.12.2021 को अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में पटटा जारी किये जाने का आदेश पारित किया है, बमुराद मंसूख किये जाने आदेश व पटटा तथा स्वीकार किये जाने निगरानी।

उपस्थितः–

01:श्री रामेश्वर दयाल –वकील निगरानीकार

02 श्री बृहम प्रकाश यादव –वकील अनिगरानीकार

——:: निर्णय ::——

निगरानीकार ने यह निगरानी ग्राम पंचायत रामपुर के आदेश दिनांक 03.12.2004 जिसके द्वारा अनिगरानीकार संख्या 01 सरीता पत्नि मुकेश कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी रामपुर तहसील बानसूर को ग्राम पंचायत रामपुर द्वारा पट्टा जारी किये जाने हेतु आदेश जारी किये गये से व्यथित होकर पेश की है।

निगरानी प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अनिगरानीकार को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

निगरानी संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
13/02/2022	25–04–2022	24–06–2022

01. राजेश कुमार पुत्र मुरारी लाल जाति बाहम्ण निवासी रामपुर तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)
02. मधु पुत्री मुरारी लाल जाति बाहम्ण पत्नि नरेश चन्द निवासी हाजीपुर तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)
03. मीरा पुत्री मुरारी लाल जाति बाहम्ण पत्नि बंजरग लाल निवासी हाजीपुर तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)

निगरानीकार

बनाम

1. सरीता पत्नि मुकेश कुमार जाति बाहम्ण निवासी रामपुर तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)
2. .ग्राम पंचायत रामपुर जरिर्ये ग्राम पंचायत रामपुर पंचायत समिति बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)
3. सचिव ग्राम पंचायत रामपुर पंचायत समिति बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)

अनिगरानीकार

निगरानी विरूद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत रामपुर पंचायत समिति बानसूर दिनांक 03.12.2004 जिसके द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में आगामी बैठक में पटटा दिये जाने आदेश दिया है, तथा आदेश की पालना में दिनाक 15.12.2021 को अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में पटटा जारी किये जाने का आदेश पारित किया है, बमुराद मंसूख किये जाने आदेश व पटटा तथा स्वीकार किये जाने निगरानी।

उपस्थितः–

01.श्री रामेश्वर दयाल –वकील निगरानीकार

02 श्री बृहम प्रकाश यादव –वकील अनिगरानीकार

—:: निर्णय ::—

निगरानीकार ने यह निगरानी ग्राम पंचायत रामपुर के आदेश दिनांक 03.12.2004 जिसके द्वारा अनिगरानीकार संख्या 01 सरीता पत्नि मुकेश कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी रामपुर तहसील बानसूर को ग्राम पंचायत रामपुर द्वारा पट्टा जारी किये जाने हेतु आदेश जारी किये गये से व्यथित होकर पेश की है।

निगरानी प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अनिगरानीकार को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

विद्वान वकील निगरानीकार ने अपनी बहस में निगरानी प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अनिगरानीकार संख्या 01 के पक्ष में जिस जायदाद का पटटा जारी किया है, वह जायदाद निगरानीकार व अनिगरानीकार संख्या 01 के पति की पैतृक जायदाद है, जो ग्राम रामपुर में स्थित है। जिसके तरफ पूर्व में आम सडक, तरफ पश्चिम में कन्हैया लाल व नन्द किशोर की विक्रायशी जायदाद, तरफ उत्तर में शामलाती चौक व उसके बाद कैलाश शर्मा की विक्रायशी जायदाद तथा दक्षिण में आम सडक है। उक्त जायदाद को आगे विवादित जायदाद से सम्बोधित किया है। अनिगरानीकार संख्या 01 के पति का स्वर्गवास हो गया तथा वह विवादित जायदाद का केवल अपने अकेली के नाम पटटा जारी करवाने की कोशिश में है, जिस पर निगरानीकार राजेश कुमार ने दिनाक 14.09.2019 को उक्त जायदाद का पटटा बिना सुने जारी नही करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, दिनाक 25.08.2021 को निगरानीकार राजेश कुमार ने विकास अधिकारी बानसूर को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अनिगरानीकार संख्या 01 विवादित जायदाद का पटटा लेने पर उतारू है, जिस पर विकास अधिकारी पंचायत समिति ने दिनाक 25.08.2021 को संरपच ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी रामपुर को आदेशित किया गया कि पटटा जारी नही किये जाने बावत प्रस्तुत की गयी आपत्ति का निस्तारण किये बिना पटटा जारी नही किया जावे। दिनाक 11.11.2021 को निगरानीकार संख्या 02 व 03 ने भी संरपच ग्राम पंचायत रामपुर को विवादित जायदाद को शामलाती की होना बताया तथा पटटा जारी नही किये जाने का निवेदन किया। निगरानीकार को पूरा अंदेशा था, कि ग्राम पंचायत विवादित जायदाद का पटटा जारी करने पर उतारू है। जिस पर निगरानीकार ने उपखण्ड अधिकारी बानसूर के समक्ष पटटा जारी नही किये जाने का निवेदन किया जिसकी प्रति दिनांक 15.12.2021 को ग्राम विकास अधिकारी ने कैम्प रामपुर में प्राप्त की दिनाक 07.12.2021 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिस पर समाधान सीईओ/बीडीओ को नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित करने हेतु पत्र में उल्लेख कर भिजवाया है। ग्राम विकास अधिकारी रामपुर ने दिनाक 21.02.2022 को विकास अधिकारी पंचायत समिति बानसूर को समाधान प्रकोष्ठ को निस्तारण बाबत पत्र प्रेषित किया जिसमे बताया कि ग्राम पंचायत रामपुर कार्यालय पत्राक 150 दिनांक 9.11.2021 को श्रीमति सरीता देवी पत्नि मुकेश कुमार के प्रार्थना पत्र के आधार पर आपत्ति नोटिस जारी किया गया जिनका निस्तारण ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 05 दिनाक 03.12.2004 को सर्वसम्मती से किया जाकर जाकर पटटा जारी करने का कोरम ने निर्णय लिया सरिता देवी ने दिनाक 30.07.2021 को शपथ पत्र पेश किया है, जिसमे पटटा स्वयं के नाम जारी किये जाने की प्रार्थना की है, राजेश कुमार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पटटा एवं उससे सम्बधित कागजात की नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनाक 30.03.2022 को लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत रामपुर ने निगरानीकार को बिन्दू संख्या 01 में यह उल्लेख किया है, कि सरीता देवी पत्नि मुकेश कुमार शर्मा निवासी रामपुर के संदर्भ में विकास अधिकारी पचायत समिति बानसूर के आदेश कंमाक 489/25.08.2021 की पालना में ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही की गयी कि आज दिनांक तक इस नाम का कोई पटटा फाईल ग्राम पंचायत में नही आई है, बिन्दू संख्या 07 में उल्लेख किया है, कि सरीता देवी पत्नि मुकेश कुमार शर्मा निवासी रामपुर दिनाक 15.12.2021 की कार्यवाही में आपत्तिकर्ताओ की कार्यवाही से दस्तावेजो के अनुसार खारिज कर प्रशासन गाव के संग अभियान में पटटा जारी किये जाने की कार्यवाही की गयी। ग्राम पंचायत द्वारा विवादित जायजाद का मौका निरीक्षण किया है, जो बिना निगरानीकार को सूचना दिये उनकी अनुपरिथिति में किया है, जिस मौका रिपोर्ट से पूर्व में दिनाक 04.08.2021 दर्ज की है। जिसके बाद

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

में दिनांक 03.12.2021 दर्ज की गयी है, उसके बाद इसी रिपोर्ट में नीचे दिनांक 03.11.2021 को काट कर दिनांक 03.12.2021 की तारीख दर्ज की है। निगरानीकार को पूर्व में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो सम्बंधित नकलें दी थी, उसमें मौका रिपोर्ट में केवल 04.08.2021 की तारीख दर्ज है, तथा नीचे दिनांक 03.12.2021 की तारीख दर्ज है। मौका रिपोर्ट पर जिनके हस्ताक्षर है, वे सभी मौके पर उपस्थित नही थे। ग्राम विकास अधिकारी ने विकास अधिकारी को जो पत्र लिखा है, उसमें प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 03.12.2004 का होना बताया है, जबकि निगरानीकार को उक्त प्रस्ताव के संबंध में जो नकल प्राप्त हुई उसमें दिनांक 03.12.2021 दर्ज की हुयी है। निगरानीकार ने दिनांक 06.12.2021 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से अनिगरानीकार संख्या 02 व 03 को जरिये रजि0 नोटिस प्रेषित कराया था, जिसमें विवादित जायदाद शामलाती होना तथा पट्टा जारी नही किये जाने की हिदायत दी थी। यह विवादित जायदाद निगरानीकार/अनिगरानीकार की शामलाती जायदाद है, ग्राम पंचायत ने गलत तौर पर निगरानीकार की गैर मौजूदगी में तैयार की गयी मौका रिपोर्ट के आधार पर विवादित जायदाद को अनिगरानीकार संख्या 01 की अकेले की होना माना है, कानूनन ग्राम पंचायत को इस प्रकार का निर्णय करने का अधिकार नही है। ग्राम पंचायत द्वारा मनमाने तौर पर गैर कानूनी तरीके से अनिगरानीकार संख्या 01 को अनुचित लाभ पहुचाने के नियत से विवादित जायदाद का पट्टा गलत तौर पर जारी किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। निगरानी स्वीकार की जाकर अनिगरानीकार संख्या 01 के पक्ष में अनिगरानीकार संख्या 02 व 03 द्वारा दिनांक 15.12.2021 को जारी किये गये विवादित जायदाद के पट्टे को निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अनिगरानीकार ने अपनी बहस में निगरानी प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया कि, अनिगरानीकार संख्या 01 के पक्ष में जिस जायदाद का पट्टा जारी किया है, वह जायदाद निगरानीकार/अनिगरानीकार संख्या 01 के पति की पैतृक जायदाद है, जो ग्राम रामपुर में स्थित है। जिसके तरफ पूर्व में आम सड़क, तरफ पश्चिम मे कन्हैया लाल व नन्द किशोर की रिहायश जाददाद, तरफ उत्तर में शामलाती चौक व उसके बाद कैलाश शर्मा की रिहायश जायदाद तथा दक्षिण में आम सड़क है। बाकि लेख गलत है। उक्त जायदाद किसी प्रकार विवादित नही है, निगरानीकार ने वादकरण पैदा करने व निगरानी की पूर्ति के लिए विवादित होना अंकित किया है। जिस जायदाद का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा मिन अनिगरानीकार संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया है, व जायदाद आपसी सहमति से हुए घरेलू विभाजन से मिन अनिगरानीकार संख्या 01 के पति स्व0 मुकेश कुमार के हक व हिस्से में आयी थी, जो आपसी सहमति से विभाजन मिन अनिगरानीकार संख्या 01 के ससुर मुशीलाल ने स्वयः व मिन अनिगरानीकार संख्या 01 के पति स्व0 मुकेश कुमार के जीवनकाल में किया था, जिस जायदाद में अनिगरानीकार राजेश कुमार का कोई लेना देना नही है। उसके हक व हिस्से में अन्य जायदाद आई है। जिस पर निगरानीकार राजेश कुमार अकेला परिवार सहित काबिज है, निगरानीकार राजेश कुमार ने बतौर बदयान्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 14.09.2019 को ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया गया जबकि उसका मिन निगरानीकार संख्या 01 की जायदाद से कोई लेना देना नही था, न ही उसके कोई अधिकार निहित थे। निगरानीकार राजेश कुमार के मन में मिन अनिगरानीकार संख्या 01 के पति मुकेश कुमार की मृत्यु के बाद बेईमानी आ गयी इस लिए मिन अनिगरानीकार संख्या 01 को उसके पति के हिस्से व कब्जे में आई जायदाद से गलत हथकण्डे अपनाकर वंचित करना चाहता है। उस को प्रार्थना पत्र दिनांक 14.09.2019 पेश करने का कोई नैतिक एवं कानूनी अधिकार नही था। निगरानीकार

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

संख्या 02 व 03 शादीशुदा है, जो अपने सासुराल में रहती है। निगरानीकार संख्या 02 व 03 ने निगरानीकार संख्या 01 राजेश कुमार से साजिश करके उसको नाजायज लाभ पहुंचाने की नियत से मतीर बदयान्ति प्रार्थना पत्र दिनाक 11.11.2022 में ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया गया जबकि निगरानीकार संख्या 02 व 03 का भी मिन निगरानीकार संख्या 01 की जायदाद से कोई लेना देना नही था न ही इसमें कोई विधिक अधिकार है। विवादित जायदाद में निगरानीकार का कोई लेना देना नही है। इसलिए कानूनन उनको मौका निरीक्षण से पूर्व सूचना दिया जाना व उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया जाना आवश्यक नही है। मौका रिपोर्ट पर जिन लोगो के हस्ताक्षर/अंगूठा है, उनकी उपस्थिति में विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानो के अनुसार मौका निरीक्षण किया गया है, तथा उनके हस्ताक्षर/अंगूठा कराये गये है। दिनाक 03.12.2004 साहवन से लिखी गयी जबकि दिनाक 03.12.2021 को ही ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही हुई जो प्रस्ताव संख्या 05 दिनाक 15.12.2021 से भी स्पष्ट है। ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं दस्तावेजी साक्ष्य व मौके की वस्तुस्थिति के आधार पर विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानो के अनुसार विधि द्वारा प्रतिस्थापिक नियमो कि पालना व प्रावधानो के अनुसार निर्णय पारित किया गया है, न्याय के तैयशुदा किसी भी सिद्धान्त का उल्लंघन नही किया गया है। निगरानी खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। विद्वान वकील निगरानीकार का मुख्य तर्क है, कि अनिगरानीकार संख्या 01 के पक्ष में जिस जायदाद का पटटा जारी किया है, वह जायदाद निगरानीकार व अनिगरानीकार संख्या 01 के पति की पैतृक जायदाद है, जो ग्राम रामपुर में स्थित है। अनिगरानीकार संख्या 01 के पति का स्वर्गवास हो गया तथा वह विवादित जायदाद का केवल अपने अकेली के नाम पटटा जारी करवाने की कोशिश में है, जिस पर निगरानीकार राजेश कुमार ने दिनांक 14.09.2019 को उक्त जायदाद का पटटा बिना सुने जारी नही करने हेतु आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनाक 25.08.2021 को निगरानीकार राजेश कुमार ने विकास अधिकारी बानसूर को पेश किया गया है। तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया गया अनिगरानीकार संख्या 01 के द्वारा आवासीय मकान का पटटा जारी करवाये जाने हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर सरपंच ग्राम रामपुर पंचायत समिति बानसूर में पेश किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में जॉच की गयी मुताबिक जॉच दिनाक 03.11.2021 को कोरम बैठक में अनिगरानीकार संख्या 01 सरिता शर्मा की पत्रावली सदन के समक्ष रखी गयी पंचो को कमेटी ने मौका मुवायना कर निर्णय लिया गया की शिकायतकर्ता द्वारा बेबुनियाद शिकायत की गयी है, उक्त भवन पुस्तैनी बटवारे में सरिता शर्मा के हिस्से में है। जिसमें विधुत बिल व शौचालय सरिता शर्मा अनिगरानीकार संख्या 01 के नाम से है। उक्त भवन बंटवारे में सरिता अनिगरानीकार संख्या 01 का ही है। अंकित किया गया है, तथा दिनाक 15.12.2021 को कोरम बैठक में सरिता देवी पत्नि मुकेश शर्मा की पटटा पत्रावली निर्णय वास्ते सदन के समक्ष पेश हुई जिस पर प्राप्त पटटा आपत्ति का निरतारण समस्त कोरम द्वारा मौके पर जाकर किया गया कि उक्त मकान पर सम्पूर्ण हिस्सा सरिता देवी का ही है, तथा विधुत कनक्शन व शौचालय सरिता देवी के नाम है, तथा कोरम द्वारा मौके पर जाकर देखा तो पाया की उक्त भवन आबादी क्षेत्र में आराजी खसरा न0 2223/1374 में स्थित है। जिस कोरम द्वारा मौका निरीक्षण कर आस-पास के लोगो से जॉच कर पाया की उक्त भवन बटवारे में पुस्तेनी रूप में सरिता देवी पत्नि स्व0 मुकेश शर्मा का ही है, तथा स्वयः लगभग 15 वर्षो से उक्त भवन में रह रही है। अनिगरानीकार संख्या 01 के द्वारा बटवारे के बाबत स्वय का शपथ पत्र जिस पर दो गवाहो के हस्ताक्षर है, पेश किये गये है। कोरम बैठक मौका

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

निरीक्षण कर पाया कि उक्त भवन पुश्तैनी है, तथा 50 वर्ष पुराना है। कोरम द्वारा विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि सरिता देवी पत्नि स्व0 मुकेश शर्मा के नाम नियम 157(1) में पटटा जारी करने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया है। पटटा विलेख में दुरूस्ती/काट छाट के आधार पर पटटा विलेख की कार्यवाही को अवैध करार नही दिया जा सकता। प्रकरण में विधिवत जाँच उपरान्त तहत अदालत द्वारा अनिगरानीकार संख्या 01 के पक्ष में पटटा संख्या 048 दिनांक 15.12.2021 को जारी किया गया है, जो उचित प्रतीत होता है। निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 15–12–2021 पटटा संख्या 048 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। अतः निगरानीकार का निगरानी प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। निर्णय प्रति तहत अदालत को मय रिकॉर्ड भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24–06–2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अलवर
ALWAR

(अखिलेश कुमार पिपल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)